<u>सूचना</u>

दूरदर्षन केन्द्र जयपुर द्वारा निजी निर्माताओं से प्रायोजित श्रेणी के लिए कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित विषयों पर सुरूचिपूर्ण मनोरंजक एवं षिक्षाप्रद कथाएं, धारावाहिक, टॉक शो, डाक्यूमेटरी, पर्यटन, खानपान, कला एवं संस्कृति, हैण्डीक्राफ्ट, जन समस्या एवं समाधान, जैम्स एण्ड ज्वैलरी जैसी अलग अलग विधाओं पर आधारित कार्यक्रमों के प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं। केन्द्र का आग्रह है कि ऐसे प्रस्ताव भेजे जाए जो षिक्षाप्रद होने के साथ मनोरंजक भी हो एवं नई सृजनषीलता के साथ प्रस्तुत किए गए हों। मौलिकता तथा ताजगी भरे प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो कि व्यक्ति और समाज से सीधा सरोकार रखते हो, जो पूरे परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भी देखे जा सकते हों। धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सदभाव तथा देषभक्ति, स्वस्थ एवं स्तरीय हास्य व्यंग्य, प्रेरणास्पद इतिहास पुरूष, महान साहित्यिक कृतियां, आदर्ष तथा वीर बालक बालिकाओं का चित्रण जैसे अनेक विषय समाहित किए जा सकते हैं। **<u>समाचार व सम सामयिक विषयों के प्रस्ताव कृपया न भेजे उन्हें स्वीकार न किया जा सकेगा</u>**। प्रस्ताव के साथ पायलेट टेप भी भेजा जाए।

प्रस्ताव के साथ **रू. 10,000/— (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** का डिमांड ड्राफट संलग्न करें जो **पी.बी.बी.सी.आई., डी.जी. दूरदर्शन, नई दिल्ली** के नाम देय हो। यह राशि स्वीकृति व अस्वीकृति की दशा में भी लौटाई नहीं जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :—

- (क) सीरियल की विस्तृत कथावस्तु, कहानी का खंडों में विभाजन एवं प्रस्तुति की विस्तृत रूपरेखा।
- (ख) प्रत्येक खंड (एपिसोड) का सारांश।
- (ग) कम से कम चार एपिसोड की विस्तृत दृश्यात्मक स्क्रिप्ट।
- (घ) निर्देशक, कहानी लेखक, छाया निर्देशक, संगीत निर्देशक का नाम, जीवनवृत्त और पता सहित पूरा विवरण। इसके साथ प्रत्येक की अलग अलग यह लिखित सहमति भी हो कि वे इस कार्यक्रम निर्माण में इस कार्य के लिए सहमत है। आवेदन करते समय प्रस्तुतकर्त्ता को अपना पूरा जीवनवृत्त भी प्रस्तुत करना होगा। एक बार सूचित कर देने के बाद दूरदर्शन की पूर्व अनुमति के बिना कार्यक्रम निर्माण टीम में कोई बदलाव नहीं होगा।
- (ड.) प्रस्तुतकर्ता को प्रस्ताव के साथ धारावाहिक कार्यक्रम का एक पायलट एपिसोड भी देना होगा। पायलट एपिसोड प्रस्तुकर्ता अपने खर्चे और जोखिम पर बनाएगा। पायलट एपिसोड के अस्वीकार किए जाने या पूर्वावलोकन में विलम्ब हो जाने के लिए दूरदर्शन जिम्मेदार नहीं होगा। गेम शो, संगीत कार्यक्रम, जहां महंगे सेटों की अपेक्षा होती है, वहॉ प्रस्तुतकर्ता अपने प्रस्ताव के साथ सेट डिजायन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम का निर्माण शुरू करने से पहले प्रस्तुतकर्ता को सेट की डिजायन के संबंध में दूरदर्शन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

लगातार....2

प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यदि किसी उपन्यास, लघुकथा या अन्य किसी प्रकाशित कार्य पर आधारित है तो उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ उस उपन्यास, लघुकथा या अल्प प्रकाशित कार्य के लेखक या कॉपीराइट रखने वाले से लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी कि उसने प्रस्तुतकर्ता को इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का अधिकार दे दिया है और उसने अन्य किसी को यह अधिकार नहीं दिया है। इसमें भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के सभी प्रावधान लागू होंगे। प्रस्तुतकर्ता को प्रारंभिक अवस्था में भी किसी प्रकार कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर दूरदर्शन को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी।

आवेदन ऊपर बताए अनुसार पूरी तरह से पूर्ण होने पर ही विचारार्थ स्वीकार होगा। ऐसा न होने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर वापिस भेज दिया जाएगा। एक बार अस्वीकार कर वापिस भेज दिए गए प्रस्ताव के संबंध में दूरदर्षन किसी प्रकार के पत्र व्यवहार का उत्तर देने को बाध्य नहीं होगा।

प्रायोजित कार्यक्रम के प्रस्ताव भेजने की **अंतिम तिथि 09.05.2011**

अपने कार्यक्रम प्रस्ताव इस पते पर भेजे :–

प्रभारी
विज्ञापन अनुभाग
कमरा सं. 221, 222
दूरदर्शन केन्द्र, झालाना डूंगरी
जयपुर ।
दूरभाष सं. 0141–2711491, 2710628